मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 04/10-11/2021, दिनांक 28.04.2022

राज्य सेवा परीक्षा 2021 / राज्य वन सेवा परीक्षा 2021

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में केवल अन्य प्रदेशों/राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए रोज़गार पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त करने एवं

समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा पुन: प्रारंभ करने की सूचना

ऑनलाइन आवेदन अवधि दिनांक 02.05.2022 से
11.05.2022 (रात्रि12:00 बजे) तक

01 आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु "राज्य सेवा परीक्षा- 2021" का विज्ञापन क्रमांक 10/2022, दिनांक 22.12.2021 तथा "राज्य वन सेवा परीक्षा- 2021" का विज्ञापन क्रमांक विज्ञापन क्रमांक 11/2022, दिनांक 22.12.2021 आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर जारी किया गया था।

02 उक्त परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 5096/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है वे रोज़गार कार्यालय में पंजीयन के बिना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

03 मध्यप्रदेश के निवासी अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुपालन में अनिवार्य रहेगा।

04 अत: ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तथा ऐसे जो मध्यप्रदेश के निवासी है दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उक्त व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रारम्भ की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र **www.mponline.gov.in, www.mppsc.mp.gov.in** पर दिनांक 02.05.2022 से 11.05.2022 (रात्रि12:00 बजे) तक भरे जा सकेगें। समस्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 13.05.2022 (रात्रि12:00 बजे) तक नियमानुसार ऑनलाइन किया जा सकेगा।

05 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

सचिव